

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): ज़ीरो ऑवर का मिसयूज़ नहीं किया जा सकता।

श्री संजय सिंह: महोदय, यह इस बात को दर्शाता है कि आज हिंसा करने वाले लोगों को, नफरत फैलाने वाले लोगों को, मारपीट करने वाले लोगों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि झारखंड में सरकार के मंत्री श्री सी.पी. सिंह ने, स्वामी अग्निवेश जी के साथ जो कुछ भी घटित हुआ, उसको जायज़ ठहराया है। पूरे सदन को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए, हम हिंसा की छूट किसी को भी नहीं दे सकते। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, एक तीस सैकंड का प्रश्न और है, जो इससे अलग है। प्रधान मंत्री जी वाराणसी से सांसद हैं। गंगा की सफाई ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: नहीं-नहीं, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। ...**(व्यवधान)**... संजय सिंह जी, गंगा का विषय दूसरा है, जो आगे आ रहा है। ...**(व्यवधान)**... यह विषय अलग है। ...**(व्यवधान)**... It is not going on record. ...**(Interruptions)**... This is not going on record.

श्री संजय सिंह: *

MR. CHAIRMAN: Shri Sanjay Singh, nothing is going on record. ...**(Interruptions)**... Nothing, from this side or that side, is going on record. ...**(Interruptions)**... On both sides, nothing is going on record.

श्री संजय सिंह: *

MR. CHAIRMAN: Mr. Sanjay Singh, this is too much. ...**(Interruptions)**... Do not do like that. ...**(Interruptions)**... आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... Now, Dr. Sanjay Singh. ...**(Interruptions)**...

श्री संजय सिंह: *

श्री सभापति: आपका कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। ...**(व्यवधान)**... इससे आपका गला खराब होगा, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ...**(व्यवधान)**... Now nothing is going on record except Dr. Sanjay Singh. ...**(Interruptions)**...

Need to increase the honorarium of Anganwadi workers and helpers in Uttar Pradesh

डा. संजय सिंह (असम): महोदय, आज इस सदन के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश में 'समेकित बाल विकास परियोजना' में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देश में 15 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां हैं और 13 लाख सहायिकाएं हैं, जो विशेष कार्य में कार्यरत हैं, लेकिन आज इनके काम को रोका जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में कुपोषित

गर्भवती महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 'हौसला पोषण मिशन' के तहत खाना, फल, दूध, घी इत्यादि दिए जाते हैं और बच्चों को खिचड़ी, दलिया आदि दिए जाते हैं, लेकिन वह योजना अब बंद की जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि 'हौसला पोषण मिशन' एवं hot cooked meals को पुनः शुरू किया जाए, साथ ही जो सातवां वेतन आयोग है, उसके माध्यम से उनके वेतन को भी बढ़ाया जाए। महोदय, उनका वेतन बहुत कम है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का वेतन 4000 रुपये है और सहायिका का वेतन 2000 रुपये है। आज की बढ़ती हुई महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए, इनका सबका वेतन भी बढ़ाया जाए, साथ ही इनको हर महीने वेतन मिले। अभी इन्हें सात-सात, आठ-आठ, नौ-नौ महीनों तक वेतन नहीं मिलता है। कृपया इस पर ध्यान दें और निर्देशित करें कि इनको समय पर और वृद्धि के साथ वेतन मिले। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ।

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़) : सर, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करती हूँ।

श्री विवेक के. तन्खा (मध्य प्रदेश) : सर, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्री पी.एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

SHRI MUKUT MITHI (Arunachal Pradesh): Sir, I too associate myself with the mention made here.

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करती हूँ।

Stricter H1B visa norms by the United States of America for Indian Citizens

SHRI K. T. S. TULSI (Nominated): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me an opportunity for drawing the attention of the august House to an important question. Sir, thousands of Indians in the U.S. are in dire straits because of the change of policy of H1B visa. They often face deportation. The U.S. Administration made it more difficult to get extension of visa as a result of the 22nd February, 2018 policy memorandum that has been issued which requires detailed documentation; more evidence is not permitted for specific assignments and speciality occupations. On 13th July, 2018, the U.S. Citizens Service issued another circular to deny visa without giving an opportunity to produce more evidence. Even if there is a lack of initial evidence, the visa can be declined which is too subjective and it entirely depends on the whim and fancy of the officer concerned.